over 2,000 employees out of job for their participation in the 19th September, 1968 strike;

(b) if so, whether Government have offered any clear definition of the term; and

(c) whether any suitable instructions have been issued by his Ministry to deal with the strikers leniently in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Leaders of the employees had requested that a clarification of the term 'active instigation' might be circulated among the Ministries/Departments of the Government. It is, however, not correct that, because of the absence of the definition of "active instigation", over 2,000 employees have been thrown out of job for participation in the strike.

(b) and (c). Government have not attempted any precise definition of the term, but have only indicated illustrative guide-lines in the matter. Ministries|Departments have been requested to review the cases, keeping in view the guide lines.

दिल्ली पुलिस के विरुद्ध दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार तथा कदाचार की शिकायतें

*705. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री प० मु० सईद:
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री आ० सुन्दरलाल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार तथा कदाचार के अनेक मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में कुल कितनी शिकायतें मिली हैं तथा उनके बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, और

(ग) दिल्ली पुलिस कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता तथा दुर्व्यवहार को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) . 1-1-1969 से 30-6-1969 तक की अवधि में, दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार तथा कदाचार की 492 शिकायतें प्राप्त हुई । इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा सदन की सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया जाता है ।

(ग) सावधानी से निरीक्षण, प्रमाणित मामलों में कड़ी कार्रवाई, निरन्तर निर्देशन तथा प्रशिक्षण ऐसे विभिन्न उपायों में से हैं जो पुलिस दल की सत्यनिष्ठा, दक्षता और अनुशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए किये जाते हैं ।

विवरण

	भ्रष्टाचार	कदाचार	दुर्व्यवहार	कुल
1. प्राप्त शिकायतों की संख्या	62	394	36	492
2. उन शिकायतों की संख्या जिनकी जांच की गई	49	238	34	321

	भ्रष्टाचार	कदाचार	दुर्व्यवहार	कुल
3. उन शिकायतों की संख्या जिन्हें साबित किया गया	14	5	8	27
4. उन शिकायतों की संख्या जो झूठी पाई गई अथवा साबित नहीं हुई	35	233	26	294
5. उन शिकायतों की संख्या जिनकी जांच होनी है	13	156	2	171
6. साबित हुए मुकदमों में दण्डों के श्रेणीवार ब्यौरे देते हुए टिपण्णियां	1 हैंड कांस्टेबल बरखास्त किया गया। 1 कांस्टेबल की भर्त्सना की गई। 12 मामले दर्ज किये गये	1 उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबलों को कड़ी चेतावनी दी गई। 3 मामले दर्ज किए गए 1 विभागीय जांच आरम्भ की गई जो अभी लम्बित पड़ी है।	1 सहायक उप-निरीक्षक और 1 कांस्टेबल की निन्दा की गई। 1 उपनिरीक्षक और 2 कांस्टेबलों को चेतावनी दी गई। 3 विभागीय जांच आरम्भ की गई जो अभी लम्बित पड़ी है।	

Higher Emoluments and Retirement Age of Superme Court and High Court Judges

*706. SHRI SHRI CHAND GOYAL:
SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI:
SHRI R. K. SINHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received a demand regarding the increase in the emoluments of the Supreme Court and High Court Judges;

(b) if so, the nature of the demand; and

(c) whether Government are considering to increase the retirement age of the Supreme Court and High Court Judges?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): (a) and (b). There is no demand as such, but there is a feeling that the terms and conditions of service of High Court and Supreme Court Judges are not attractive enough. In that context Government themselves are considering whether some increase in the salary is possible.

(c) It is not proposed to pursue the question of raising the retirement age for the present.